बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, Email- bseapatna@gmail.com, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-06/2018 131 /पटना, दिनांक 15/01/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना।
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।
सभी प्रबंध निदेशक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय : **सहकारी साख एवं विपणन संरचना से जुड़े सहकारी समितियों/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः सहकारी समितियॉ/ स्वाबलम्बी सहकारी समितियॉ के निर्वाचन में सदस्यता सूची/ मतदाता सूची पर विवाद उत्पन्न होता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण कराया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अतएव यह सुनिश्चित किया जाना है कि सदस्यता सूची/ मतदाता सूची पर विवाद उत्पन्न नहीं हो।

2. प्राधिकार के पत्रांक 696 दिनांक 16.07.2018 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि

(i) समिति द्वारा मतदाता सूची हेतु सदस्यों की सूची तैयार की जायगी, सहकारिता विभाग के निदेशों एवं अधिनियम के आलोक में उपविधि की समीक्षा की जायगी, निर्वाचन शुल्क के रूप में मुख्य चुनाव पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय ₹5000/- का बैंक ड्राफ्ट की व्यवस्था की जायगी तथा ससमय निबंधक, सहयोग समितियॉ/ प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ/ जिला सहकारिता पदाधिकारी (दुग्ध उत्पादक समिति/ संघ के मामलों में संबंधित संघ के प्रबंध निदेशक) के यहॉ निर्वाचन देय तिथि से कम से कम 150 दिन पूर्व मतदाता सूची समर्पित की जायगी।

(ii) समितियों से प्राप्त निर्वाचन व्यय की राशि, मतदाता सूची, अद्यतन उपविधि, सभा बही, सदस्यता बही, पिछला निर्वाचन प्रमाण पत्र इत्यादि के आधार पर निबंधक, सहयोग समितियॉ/ प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ/ जिला सहकारिता पदाधिकारी (दुग्ध उत्पादक समिति/ संघ के मामलों में संबंधित संघ के प्रबंध निदेशक) द्वारा जांच की जायगी तथा जांचोपरांत मुख्य चुनाव पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय ₹5000/- का बैंक ड्राफ्ट एवं उपविधि के साथ निर्वाचन देय तिथि से कम से कम 120 दिन पूर्व निर्वाचन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राधिकार को प्रेषित की जायगी।

(iii) 1 जनवरी से 30 अप्रील तक निर्वाचन देय समितियों का प्रस्ताव 1 सितम्बर; 1 मई से 31 अगस्त तक निर्वाचन देय समितियों का प्रस्ताव 1 जनवरी एवं 1 सितम्बर से 31 दिसम्बर तक निर्वाचन देय समितियों का प्रस्ताव 1 मई को प्राधिकार को उपलब्ध करायी जायगी।

3. प्राधिकार के पत्रांक 791 दिनांक 06.08.2018 द्वारा भी सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों (प्रबंध निदेशक, कम्फेड को प्रति प्रेषित) को यह निदेश दिया गया है कि समिति द्वारा समर्पित सदस्यता सूची का सत्यापन समिति की सदस्यता बही, सभा बही एवं आवश्यकता पड़ने पर कैश बुक से भी कर लें, ताकि स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण हो सके।

4. उक्त निदेश के बावजूद प्राधिकार के समक्ष ऐसे मामले आये हैं, जिसमें कुछ समितियों द्वारा गलत सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को समर्पित की गयी। कई मामलों में उसी सूची को पूर्ण जांच किये बिना सत्यापित कर प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया। इसके अलावे यह तथ्य भी यदा-कदा प्राधिकार के समक्ष लाया जाता रहा है कि समिति के सदस्यों को समिति के द्वारा समर्पित सदस्यता सूची की जानकारी नहीं हो पाती है, इससे निर्वाचन कार्य प्रदूषित हो जाता है और कुछ वैध मतदाता मतदान से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समिति द्वारा संबंधित पदाधिकारी को सदस्यता सूची समर्पित किये जाने की जानकारी समिति के सभी सदस्यों को हो, ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। इस संबंध में दिनांक 17-19 दिसम्बर 2018 को संपन्न राज्य स्तरीय बैठक में भी यह तथ्य लाया गया कि निर्वाचन विवाद का मुख्य कारण मतदाता सूची है। यह भी सुझाव आया कि विगत चुनाव के अंतिम मतदाता सूची को आधार सूची माना जाय और उसकी भी छानबीन कर ली जाय। क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि प्रस्तावित मतदाता सूची पर प्रबंधकारिणी समिति का अनुमोदन कराने से अधिकांश सदस्यों को जानकारी मिलेगी और फलस्वरूप विवाद कम होंगे। साथ ही प्रबंधकारिणी की बैठक के पर्यवेक्षण के लिए उक्त प्रखंड के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की उपस्थिति रखी जा सकती है।

5. अतएव उपर्युक्त सभी पहलुओं पर विचार कर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने यह निर्णय लिया है कि स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायगी:-

(i) **<u>प्रथम चरण (समिति)</u>**:- सहकारी समिति निर्वाचन देय तिथि के लगभग 180 दिन पूर्व 15 दिनों की नोटिस पर प्रबंधकारिणी समिति की एक विशेष बैठक बुलायगी। प्रबंधकारिणी समिति की विशेष बैठक में समिति प्रस्तावित मतदाता सूची रखेगी। समिति सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित बैठक की जानकारी समिति के सभी सदस्यों को हो गयी हो तथा प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची के प्रदर्शन स्थल की भी उन्हें जानकारी हो गयी हो। प्रबंधकारिणी समिति से अनुमोदित कराकर समिति द्वारा प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची निर्वाचन देय तिथि से कम से कम 150 दिन पूर्व संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/ संयुक्त निबंधक/ निबंधक, सहयोग समितियॉ (दुग्ध उत्पादक समिति/ संघ के मामलों में संबंधित संघ के प्रबंध निदेशक) को उपलब्ध कराया जायगा।

उक्त बैठक के पर्यवेक्षण के लिए संबंधित प्रखंड के पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुमोदन से की जायगी। दुग्ध उत्पादक समिति/ संघो के मामले में संबंधित दुग्ध संघ के प्रबंध निदेशक पर्यवेक्षकीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से करायेंगे। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकीय कर्मी की प्रतिनियुक्ति की सूचना संबंधित समितियों (दुग्ध उत्पादक समिति सहित) एवं संबंधित पदाधिकारी को निर्वाचन देयता की तिथि के 180 दिन पूर्व दी जायगी ताकि समिति द्वारा बैठक की तिथि की सूचना पर्यवेक्षकीय कर्मी को भी दी जा सके।

प्रबंधकारिणी की यह बैठक प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए होगी और इसकी सूचना संबंधित समिति एवं पंचायत के प्रमुख सरकारी भवनों (प्रखंड स्तरीय समिति की स्थिति में प्रखंड मुख्यालय) पर प्रदर्शित की जायगी। साथ ही जिस सदस्यता सूची पर विचार हेतु प्रबंधकारिणी समिति की बैठक होगी, उस सूची को भी संबंधित समिति कार्यालय एवं पंचायत के प्रमुख सरकारी भवनों (प्रखंड स्तरीय समिति की स्थिति में प्रखंड मुख्यालय) पर प्रदर्शित किया जायगा। नोटिस में स्पष्ट किया जायगा कि यह बैठक मुख्यतः प्रारूप मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए है तथा किसी को अपनी आपत्ति देनी हो तो स्वअभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ सादे कागज पर समिति के अध्यक्ष/ सचिव/ प्रबंधक या नामित पर्यवेक्षकीय कर्मी में से किसी को भी बैठक के पूर्व आवेदन दे सकता है; जिसपर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा विचार किया जायगा।

पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रबंधकारिणी समिति की बैठक सही ढंग से हो एवं प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थलों पर प्रकाशन हुआ हो। बैठक में कोरम के अनुसार उपस्थिति हो और सही सदस्य ही उपस्थित हों। प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित प्रारूप मतदाता सूची पर पर्यवेक्षकीय कर्मी का भी प्रति हस्ताक्षर होगा।

सदस्यता सूची तीन भागों में रहेगी- (क) विगत निर्वाचन की अंतिम मतदाता सूची (ख) विगत मतदाता सूची के बाद नए जोड़े गए सदस्यों (ऑनलाईन बनाये गये सदस्यों सहित, जहां लागू हो) की सूची (ग) विगत मतदाता सूची से हटाए गए सदस्यों की सूची (कारण सहित)। तीनों सूचियों का जिक्र करते हुए देय निर्वाचन के कुल वैध मतदाताओं की संख्या (पिछली मतदाता सूची + नए बने सदस्य - हटाए गए सदस्य = कुल वैध मतदाता) एक विवरणी से आच्छादित रहेगी। तीनों सूची पर समिति के अध्यक्ष/ सचिव और प्रबंधक (जहाँ जो पद धारक हो) का नाम/ हस्ताक्षर/ तिथि और मुहर रहेगा। उक्त आधार पर प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची की समेकित सूची तैयार की जायगी, जिसपर समिति के अध्यक्ष/ सचिव/ प्रबंधक (जहां जो पदधारक हो) का मुहर सहित हस्ताक्षर एवं पर्यवेक्षकीय कर्मी का प्रतिहस्ताक्षर होगा। उक्त सभी अभिलेख ₹5000/- के बैंक ड्राफ्ट एवं उपविधियों के साथ सक्षम पदाधिकारी को समिति निर्वाचन कराने के अनुरोध के साथ भेजेगी।

(ii) **द्वितीय चरण (क्षेत्रीयस्तर):-** निर्वाचन प्रस्ताव भेजने हेतु सक्षम पदाधिकारी [यथा निबंधक या निबंधक के प्रतिनिधि, प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी (दुग्ध समिति के मामले में संघ के प्रबंध निदेशक)] समिति से प्राप्त प्रस्ताव की जॉच 30 दिनों के अंदर करेंगे तथा प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख यथा सदस्यता बही, सभा बही, कैशबुक आदि के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत होंगे। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जायगा, उनके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जायगा। तत्पश्चात् निर्वाचन प्राधिकार को निर्वाचन का प्रस्ताव पूर्व से निर्गत निदेशों के अनुरूप निर्वाचन देयता तिथि के 120 दिन पूर्व भेजा जायगा। दुग्ध समिति/ संघों के मामले में प्रबंध निदेशक, कम्फेड के माध्यम से प्राधिकार को प्रस्ताव भेजा जायगा। यह भी सुनिश्चित किया जायगा कि निर्वाचन प्राधिकार को प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि को बैंक ड्राफ्ट के कालबाधित होने की समय सीमा कम से कम एक माह हो।

(iii) **तृतीय चरण (निर्वाचन पदाधिकारी):-** निर्वाचन प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्वाचन प्राधिकार द्वारा मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम निर्धारित किया जायगा। पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही प्रारूप मतदाता सूची एवं अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम होगा। समिति के सदस्यों/ मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने/ हटाने/ शुद्ध कराने का यह अंतिम अवसर होगा। इस हेतु वे विहित प्रपत्र में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष साक्ष्यों के साथ आवेदन समर्पित करेंगे, जिसपर

निर्वाचन पदाधिकारी मुखर आदेश पारित करके नाम जोड़ने/ हटाने/ शुद्धिकरण की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए करेंगे।

6. पूर्व से निर्गत इस विषयक अन्य अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे **एवं दिनांक 01.02.2019 से निर्वाचन हेतु जो प्रस्ताव समिति द्वारा संबंधित पदाधिकारी को भेजा जायगा, ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार ही भेजा जायगा।**

कृपया उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं इस निदेश की जानकारी अपने क्षेत्राधीन समितियों को तुरंत दे दी जाय।

विश्वासभाजन

15.1.19

(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 131 पटना, दिनांक 15/01/2019

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.1.19
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 131 पटना, दिनांक 15/01/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.1.19
संयुक्त सचिव।